डीजी–परिपत्र सं0– 22 /2023

विजय कुमार,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांकः लखनऊः जून 17, 2023

विषयः जनशिकायतों की सुनवाई एवं त्वरित निस्तारण हेतु जनपदीय अधिकारियों की कार्यालय में उपस्थिति विषयक निर्देश।

प्रिय महोदय / महोदया,

मैं आपका ध्यान जनशिकायत की सुनवाई एवं उनके निस्तारण की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। इस मुख्यालय से समय–समय पर पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित परिपत्र / पत्र निर्गत किये गये हैं, जिनके द्वारा कमिश्नरेट / जनपदीय अधिकारियों को प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित होकर जनसुनवाई कर प्रस्तुत समस्याओं का कमिश्नरेट / जनपद स्तर पर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, लेकिन प्रायः यह देखने में आ रहा है कि अधिकारी अपने पुलिस / राजकीय कार्यालय एवं थानों में जनसुनवाई हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप जनसामान्य / पीड़ितों / शिकायतकर्ताओं की समस्या का निस्तारण स्थानीय स्तर पर नहीं हो पा रहा है तथा उन्हें अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु मुख्यालय में उपस्थित होने हेतु बाध्य होना पड़ता है। यह स्थिति कदाचित उचित नहीं है।

डीजी–5 / 6–जनसुनवाईSOP / 2023 दिनांक 12.6.23	
डीजी परिपत्र सं0–05 / 2016	दि0–29.01.2016
डीजी परिपत्र सं0–51 / 2008	दि0–28.04.2008
डीजी परिपत्र सं0–49 / 2008	दि0–28.04.2008

2. उक्त के दृष्टिगत पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप सभी अपने–अपने पुलिस / राजकीय कार्यालय एवं थानों पर प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक उपस्थित होकर जनसुनवाई करेंगें तथा प्रस्तुत समस्याओं का स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित करायेंगें। कमिश्नरेट / जनपद में कानून व्यवस्था सम्बन्धी अपरिहार्यताओं, अवकाश पर होने अथवा समाधान दिवस / सम्पूर्ण समाधान दिवस आदि विशेष परिस्थितियों में जनसुनवाई से अनुपस्थित रहने की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवश्य देंगे तथा जनसुनवाई की वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। उक्त के अतिरिक्त निर्दिष्ट अवधि में अपने–अपने पुलिस / राजकीय कार्यालय एवं थानों पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगें। इससे जनसामान्य में पुलिस के प्रति विश्वसनीयता बढेगी।

3. मै अपेक्षा करता हूँ कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन आप स्वंय करेंगें और अपने अधीनस्थ अधिकारियों से सुनिश्चित करायेंगें। इन निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा नियमित रूप से मुख्यालय स्तर से की जायेगी और इसके विपरीत स्थिति पायें जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध समुचित कार्यवाही विभागीय नियमों के अनुसार सुनिश्चित करायी जायेगी। अतः इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

भवदीय,

(विजय कुमार)

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 (नाम से)
समस्त पुलिस आयुक्त उ0प्र0 (नाम से)
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक उ0प्र0 (नाम से)
समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक उ0प्र0 (नाम से)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून–व्यवस्था, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. पुलिस महानिरीक्षक, कानून–व्यवस्था, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक, लोक शिकायत, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. पुलिस अधीक्षक, लोक शिकायत–। व ।।, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।